



2026:AHC:129717

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 21909 वर्ष 2026

अनीश अंसारी

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

अली हसन, इस्तियाक अली

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अली हसन की तरफ से जागृती पाण्डेय, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 307/2026, अंतर्गत उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को गिरोह चार्ट में दर्शाए गए एक आधार मामले के आधार पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जिसमें उसे जमानत मिल चुकी है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि गिरोह चार्ट में उल्लिखित आधार मामलों के अलावा, आवेदक का नौ अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास है। आपराधिक इतिहास में उल्लिखित दो मामले गलत तरीके से दर्शाए गए हैं क्योंकि बरेली जिले में सफदरगंज थाना नाम का कोई पुलिस थाना मौजूद नहीं है। अन्य मामलों में आवेदक या तो जमानत पर है या बरी हो चुका है। आवेदक पूर्व अपराधी नहीं है। आवेदक 18.04.2026 से जेल में बंद है। आगे प्रस्तुत किया गया कि यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. माननीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है। हालांकि, उन्होंने आवेदक द्वारा दिए गए आपराधिक इतिहास के स्पष्टीकरण पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।

5. मैंने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर भी विचार किया है।

6. गिरोह चार्ट में उल्लिखित एक एकल आधार मामले के आधार पर आवेदक को वर्तमान मामले में नामित किया गया है। आवेदक उक्त मामले में जमानत पर है। आवेदक के आपराधिक इतिहास का विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है और आवेदक को पूर्व अपराधी नहीं बताया गया है।

7. मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, और उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक 18.04.2026 से जेल में है, मेरी राय है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

9. उपर्युक्त मामले/अपराध संख्या में आरोपी-आवेदक **अनीश अंसारी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले की योग्यता पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,)

30 जून, 2026

ए. पांडेय